

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 26, 1947)

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान पर सदस्य का निर्वाचन.

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा